भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सूचना के अधिकार अधिनियम
2005
अध्याय—1
सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया

1.	**सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना-पत्र देने की प्रक्रिया क्या है?**
	I. जिसकी सूचना प्राप्त करनी है का विशिष्ट विवरण देते हुए लिखित अथवा इलैक्ट्रानिक साधन द्वारा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में जन सूचना अधिकारी अथवा सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन भेजे। II. सूचना प्राप्त करने हेतु कारण देना आवश्यक नहीं है। III. बीबीएमबी के लेखाधिकारी के पास उचित प्राप्ति के साथ नकद भुगतान अथवा डिमांड ड्रॉफट अथवा बैंकर चैक द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में 10/- (दस रूपये) भेजे जाए। क. आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्व उचित अपील प्राधिकारी को पुनविलोकन हेतु आवेदन दे सकता। ख. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। IV. आवेदन पर अपना डाक पता/सम्पर्क नम्बर दर्शाए जहां पी आई ओ आपको सूचना/ अनुमानित व्यय (यदि सम्मिलित है) अथवा केस से सम्बन्धित कोई अन्य जानकारी भेज सके। V. नागरिक के अपंग अथवा संवादिक विकलांग होने की स्थिति में पीआईओ सूचना प्राप्ति में सहायता निरीक्षण हेतु जैसी आवश्यकता हो तो सहायता प्रदान करेगा।
2.	**सूचना प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है?**
	I. आवेदन पत्र की तिथि से 30 दिन। II. जीवन व स्वतन्त्रता की स्थिति में अपेक्षित सूचना हेतु 48 घण्टे। III. यदि आवेदन सहायक जन सूचना अधिकारी को सूचना हेतु दिया गया है, तो उपर्युक्त वर्णित समय में पांच दिन जोड दिए जाएंगे। IV. यदि स्तर तृतीय पक्ष द्वारा दिया जाना है तो समयावधि 40 दिन होगी (अधिकतम अवधि + पार्टी को अभ्यावेदन देने हेतु दिया गया समय) V. विनिदर्ष्टि समयावधि में सूचना देने में असफल होने को इन्कार समझा जाए। VI. यदि पीआईओ निर्धारित समय में अनुपालन करने में असफल हो जाता है, तो आवेदक को सूचना निशुल्क प्रदान की जाएगी।
3.	**अस्वीकार करने हेतु क्या आधार हो सकते है ?**
	I. यदि यह सूचना प्रकटीकरण से छूट में सम्मिलित है (एस-8) II. यदि सरकार (राज्य) के स्तर किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराईट का उल्लंघन करता हो। (एस-9) III. यदि अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित सरकार के नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छूट प्रदान की गई हो।

****